पत्रांकः 07/स्था0–05/2025 1188 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(सांख्यिक वित्त निदेशालय)

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद रजक,
अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः 29/07/2025

विषयः– **बोर्ड/निगम/सोसायटी के अधीन स्वीकृत पदों के विरूद्ध सेवानिवृत कर्मियों के संविदा पर नियोजन की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में।**

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–3/एम०–63/2013 सा०प्र०–10000, दिनांक–10.07.2015 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन चिन्हित पदों के विरूद्ध सेवानिवृत सरकारी सेवकों के चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही वैसे पद, जिनकी सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

2. राज्याधीन बोर्ड/निगम/सोसायटी के अधीन स्वीकृत पदों के विरूद्ध भी सेवानिवृत कर्मियों का संविदा नियोजन किया जाता है।

3. अतएव निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त आलोक में निगम/बोर्ड/सोसायटी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध सेवानिवृत सरकारी सेवकों के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। साथ ही वैसे पद, जिनकी सेवानिवृति की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

विश्वासभाजन,

29/07/25

(राजेश्वर प्रसाद रजक)
अवर सचिव